राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(10)गृह–1/2021 जयपुर, दिनांक 19 JUL 2023

–: आज्ञा :–

कार्मिक (क–4/2) विभाग की अशा0टीप क्रमांक प.9(1)कार्मिक/क–4/2/2021 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा याचि अभ्यर्थी को आवंटित मेरिट क्रमांक विलोपित करते हुए संशोधित मेरिट क्रमांक अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा आवंटन किये जाने हेतु अभिशंषा प्राप्त हुई है।

उक्त क्रम में राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थी को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि इस विभाग के लिये रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी:–

क्र. सं.	मेरिट नंबर	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	वर्ग	विशेष विवरण
1.	32A	804088	SHIVA SHARMA	17.11.1992	GE	वरिष्ठता इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.12.2021 के क्र0सं0 01 पर अंकित आकांक्षा कुमारी (मेरिट क्रमांक 44) के उपर रहेगी।

1. उक्त नियुक्ति एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 4296/2021 सुरेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार, एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 4131/2020 ज्योति शर्मा बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, एसबी सिविल रिट याचिका सं. 11806/2021 शिप्रा चौधरी बनाम राज्य एवं अन्य, एसबी सिविल रिट याचिका सं. 7044/2020 किशन लाल सहारण एवं अन्य बनाम राज्य सरकार, एसबी सिविल रिट याचिका सं. 8380/2015 राजेश शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, एसबी सिविल रिट याचिका सं. 13582/2021 नटवर सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य, एसबी सिविल रिट याचिका सं. 13976/2021 कुलवन्त सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाऐ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2018 से संबंधित दायर समस्त रिट याचिकाओं/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरणों के अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।
2. पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, तो नियुक्ति सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
3. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जॉच के अध्यधीन रहेगी।
4. उक्त परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
5. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
7. उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
8. उक्त अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परीवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
11. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

राजस्थान सरकार

12. अभ्यर्थी ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, तो वह आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की जानकारी रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से (कमरा नं. 1112, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति प्रस्तुत करेगा।
13. अभ्यर्थी को अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप इस विभाग को आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाना चाहिए।
14. प्रशिक्षण संबंधी समस्त दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है। hcmripa जयपुर के पत्र दिनांक 30.11.2021, 03.12.2021 एवं 21.12.2021 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना किया जाना होगा।
15. उक्त चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
16. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
17. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
18. उक्त अभ्यर्थी यदि उक्त आदेश के 15 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
19. उक्त अभ्यर्थी को राजस्थान पुलिस सेवा में पूर्व में चयनित ठीक कनिष्ठ राजसेवक के समान समस्त परिलाभ यथा वरिष्ठता, पदोन्नति आदि पूर्व आवंटित सेवा में कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक रूप से प्रदान किये जायेंगे। वास्तविक नगद लाभ राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यग्रहण दिनांक से प्रदत्त होंगे।
20. यह सेवा आवंटन राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवायें (सीधी भर्ती द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) नियम 1999 के नियम 20 के अन्तर्गत किया गया है।

राजयपाल की आज्ञा से,

ह०
(जगवीर सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
0141–2227294

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण, गृह
6. निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
11. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
14. संबंधित अधिकारी।
15. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग – उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

संयुक्त शासन सचिव,पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

//
संयुक्त शासन सचिव,पुलिस

गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या...1387...
दिनांक...24/7/23

Sh. Vijay
24/7/23